ई-मेल/महत्वपूर्ण

संख्या-1857/22-1-2025-22/2013

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार शासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार शासन एवं सुधार अनुभाग-1 **लखनऊ:दिनांक: 31 दिसम्बर,2025**

विषयः-उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग जेल वार्डर संवर्ग सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2025 के सम्बन्ध में

महोदय,

कृपया अधिसूचना संख्या:1856/22-1-2025-22/2013, दिनांक 31.12.2025 द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग जेल वार्डर संवर्ग सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2025 की प्रति (हिन्दी/अंग्रेजी) संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त के सम्बन्ध में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही कराते हुये अपने स्तर से सभी सम्बन्धितों को भी इसकी प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

31.12.25

(रवि शंकर मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैवः

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को उक्त अधिसूचना की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।

2-निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

3-निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 राज्य मंत्री जी के सूचनार्थ।

4-प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।

5-निजी सचिव, प्रमुख सचिव, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

6-पुलिस महानिदेशक/अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ।

7-निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।

8-मीडिया सलाहकार, मा० मुख्यमंत्री जी।

9-संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अधिसूचना की मूल प्रति (हिन्दी व अंग्रेजी में पेन ड्राइव सहित) इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत अधिसूचना को उत्तर प्रदेश असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4, खण्ड-क में दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 की तिथि में प्रकाशित करते हुए मुद्रित अधिसूचना की 500 प्रतियां (हिन्दी/अंग्रेजी) कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-1 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश मिश्र)
संयुक्त सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.1856/22-1-2025-22/2013, dated December 31, 2025

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH PRISON ADMINISTRATION AND REFORMS SECTION-1

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

No.1856/22-1-2025-22/2013

***Dated Lucknow, December* 31, 2025**

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and all other power enabling him in this behalf the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Prison Administration and Reforms Department Jail Warder Cadre Service Rules 2016:

THE UTTAR PRADESH PRISON ADMINISTRATION AND REFORMS DEPARTMENT JAIL WARDER CADRE SERVICE (SECOND AMENDMENT) RULES, 2025

<table>
<tr><td>Short title and commencement</td><td colspan="4">1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Prison Administration and Reforms Department Jail Warder Cadre Service (Second Amendment) Rules, 2025.
(2) They shall come into force at once,</td></tr>
<tr><td>Amendment of rule 15 (2)</td><td colspan="4">2. In the Uttar Pradesh Prison Administration and Reforms Department Jail Warder Cadre Service Rules, 2016 for existing sub rule(2) of rule 15 set out in Column I below, the sub-rule as set out in Column II shall be substituted, namely:-</td></tr>
<tr><td>Written Examination</td><td>Procedure for Direct Recruitment to the post of Jail Warder-</td><td>COLUMN-I
Existing-sub rule

Candidates, whose applications are found correct, shall be required to appear written examination. In the written examination. The Board will keep one objective type question paper. The written examination will be of 300 marks and it shall have questions from General Knowledge, General Hindi, Numerical and Mental Ability, Mental Aptitude/I.Q. And Reasoning Ability.
Candidates will awarded negative marks for wrong answers in the written examination.
The detailed syllabus for the examination will be decided by the Board and will be displayed on its own website. The Board will decide at its own</td><td>Procedure for Direct Recruitment to the post of Jail Warder-</td><td>COLUMN- II
Sub-rule as hereby substituted

Candidates, whose applications are found correct, shall be required to appear in written examination. In the written examination, the Board will keep one objective type question paper. The written examination will be of 300 marks and it shall have questions from General Knowledge, General Hindi, Numerical and Mental Ability, Mental Aptitude/ I.Q. and Reasoning Ability. In written examination, the following minimum qualifying marks are prescribed for the candidates of each category/class wise i.e. Un Reserved/OBC/SC/ ST/EWS:-
(1) 30 percent for Un Reserved candidates.
(2) 25 percent for Economically Weaker Section (EWS) candidates.
(3) 25 percent for Other</td></tr>
</table>

		level to conduct written examination on one date in a single shift or in more than one shift or on more than one date in different shifts with different question papers or through computer based written examination system. Note:- (1) Detailed procedure for written examination shall be determined by the Board and will be displayed on its own website. (2) If the Board decides to conduct the written examination in more than one shift or on more than one date in different with shifts, different question papers, then the Board may, if necessary, decide the process of normalization of marks obtained by candidates appearing in such examinations at its level and will publish it in its advertisement.		Backward Classes (OBC) candidates. (4) 20 percent for Scheduled Caste (SC)/Scheduled Tribe (ST) candidates. Candidates who fail to obtain the minimum qualifying marks in the written examination as mentioned above will not be eligible for recruitment. The detailed syllabus for the examination will be decided by the Board and will be displayed on its own website. The Board will decide at its own level to conduct written examination on one date in a single shift or in more than one shift or on more than one date in different shifts with different question papers or through computer based written examination system. Note:- (1) Detailed procedure for written examination shall be determined by the Board and will be displayed on its own website. (2) If the Board decides to conduct the written examination in more than one shift or on more than one date in different shifts, with different question papers, then the Board may, if necessary, decide the process of normalization of marks obtained by candidates appearing in such examinations at its level and will publish it in its advertisement. Provide that under above circumstances wherever the word "marks" appears in the rule, it shall mean 'normalized marks'

By Order,

(Anil Garg)

Principal Secretary.

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-1

संख्या-1856/22-1-2025-22/2013

लखनऊ, 31 दिसम्बर, 2025

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त समर्थकारी अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग जेल वार्डर संवर्ग सेवा, नियमावली, 2016 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:

उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग जेल वार्डर संवर्ग सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2025

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग जेल वार्डर संवर्ग सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2025 कही जाएगी। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।			
नियम-15(2) का संशोधन	2- उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग जेल वार्डर संवर्ग सेवा नियमावली, 2016, में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-15 के उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-			
लिखित परीक्षा	जेल वार्डर के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया	**स्तम्भ-1** **विद्यमान उपनियम** ऐसे अभ्यर्थियों, जिनके आवेदन-पत्र सही पाये जाये से, लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। लिखित परीक्षा में, बोर्ड द्वारा एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्नपत्र रखा जायेगा। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी एवं इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिन्दी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरूचि/बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता के प्रश्न होंगे। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिये ऋणात्मक अंक प्रदान किये जायेंगे। परीक्षा के लिये विस्तृत पाठ्यक्रम का	जेल वार्डर के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया	**स्तम्भ-2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम** ऐसे अभ्यर्थियों, जिनके आवेदन-पत्र सही पाये जाय से, लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। लिखित परीक्षा में, बोर्ड द्वारा एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्नपत्र रखा जायेगा। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी एवं इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिन्दी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरूचि/बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता के प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा में, प्रत्येक श्रेणी/वर्गवार अर्थातः- **अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित न्यूनतम अर्हकारी अंक विहित किये गये हैं:-** **(1) अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 30 प्रतिशत।** **(2) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई०डब्ल्यू०एस०) अभ्यर्थियों के लिए 25**

		विनिश्चय बोर्ड द्वारा किया जायेगा और इसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा। बोर्ड, लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली में अथवा एक से अधिक दिनांकों को विभिन्न प्रश्नपत्र के साथ विभिन्न पालियों में अथवा कम्प्यूटर आधारित लिखित परीक्षा प्रणाली के माध्यम से संचालित कराये जाने हेतु अपने स्तर से विनिश्चय करेगा। टिप्पणी:- 1- लिखित परीक्षा के लिए विस्तृत प्रक्रिया का अवधारण बोर्ड द्वारा किया जायेगा और इसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा। 2- यदि बोर्ड लिखित परीक्षा, एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक दिनांकों को विभिन्न पालियों में विभिन्न प्रश्नपत्रों के साथ संचालित करने के लिए विनिश्चय करता है तो बोर्ड अपने स्तर पर ऐसी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रसामान्यीकरण प्रक्रिया का, यदि आवश्यक हो, विनिश्चय कर सकता है और इसे अपने विज्ञापन में प्रकाशित करेगा।		**प्रतिशत।** **(3) अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ०बी०सी०) अभ्यर्थियों के लिए 25 प्रतिशत।** **(4) अनुसूचित जाति (एस०सी०)/ अनुसूचित जनजाति (एस०टी०) अभ्यर्थियों के लिए 20 प्रतिशत।** **उपर्युक्तानुसार लिखित परीक्षा में न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी, भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे।** परीक्षा के लिये विस्तृत पाठ्यक्रम बोर्ड द्वारा विनिश्चित किया जायेगा और इसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा। बोर्ड, लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली में अथवा एक से अधिक दिनांक को विभिन्न प्रश्नपत्र के साथ विभिन्न पालियों में अथवा कम्प्यूटर आधारित लिखित परीक्षा प्रणाली के माध्यम से संचालित कराये जाने हेतु अपने स्तर से विनिश्चय करेगा। टिप्पणी:- 1- लिखित परीक्षा के लिए विस्तृत प्रक्रिया का अवधारण बोर्ड द्वारा किया जायेगा और इसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा। 2- यदि बोर्ड लिखित परीक्षा, एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक दिनांक को विभिन्न पालियों में विभिन्न प्रश्नपत्रों के साथ संचालित करने के लिए विनिश्चय करता है तो बोर्ड, अपने स्तर पर ऐसी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रसामान्यीकरण प्रक्रिया का, यदि आवश्यक हो, विनिश्चय कर सकता है और इसे अपने विज्ञापन में प्रकाशित करेगा। **परन्तु उपरोक्त परिस्थितियों के अधीन जहां कही इस नियम में शब्द "अंक" आया हो, उसका तात्पर्य "प्रसामान्यीकृत अंक" होगा।**

आज्ञा से,

(अनिल गर्ग)
प्रमुख सचिव।